DAINIK JAGRAN N.D 27/09/2018

आयात शुल्क बढ़ने से रेफ्रिजरेटर एसी व वाशिंग मशीन होगी महंगी

चालू खाते के घाटे पर अंकुश लगाने के लिए हुई थी पांच सूत्रीय उपायों की घोषणा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: डॉलर के मुकाबले गिरते रुपये को थामने के लिए सरकार ने एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और वाशिंग मशीन सहित 19 लक्जरी उत्पादों पर आयात शुल्क में भारी वृद्धि की है। नई दरें बुधवार मध्यरात्रि से प्रभावी हो गई है। केंद्र के इस कदम के बाद अब ये उत्पाद महंगे हो जाएंगे। सरकार ने यह कदम गैर जरूरी वस्तुओं के आयात में कटौती करने के इरादे से उठाया है ताकि आयात बोझ को हल्का कर चालू खाते के घाटे (सीएडी) को काबू किया जा सके।

वित्त मंत्रालय का कहना है कि पिछले वित्त वर्ष में इन वस्तुओं के आयात से देश के आयात बिल में 86,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा था। मंत्रालय ने जिन अन्य वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाया है, उनमें वाशिंग मशीन, स्पीकर, कारों के रेडियल टायर, ज्वैलरी, रसोई व टेबल वेयर, प्लास्टिक की कुछ चीजें और सूटकेस शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर कुछ उत्पादों के आयात को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाया है। इन उपायों का मकसद चालू खाते के घाटे को काबू करना है। कुल मिलाकर 19 उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाया गया है। एसी, रेफ्रिजरेटर और 10 किलो से कम क्षमता वाली वाशिंग मशीनों पर आयात शुल्क बढ़ाकर दोगुना यानी 20 प्रतिशत कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने गिरते रुपये को थामने और चालू खाते के घाटे को काबू रखने के लिए पांच सूत्रीय कार्य योजना घोषित की थी। इसी योजना के तहत आयात शुल्क बढ़ाने का यह निर्णय किया गया है। चालू खाते के घाटे का मतलब देश में आने वाली और देश से बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा का अंतर है। चालू वित्त वर्ष में चालू खाते का घाटा जीडीपी का 2.4 प्रतिशत हो गया है।

19 उत्पादों पर सरकार ने बढ़ाया शुल्क रुपये को थामने के लिए उठाया कदम

10 किलो से कम क्षमता वाली वाशिंग मशीनों पर आयात शुल्क दोगुना

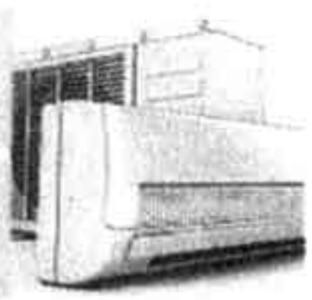

आयात शुल्क में वृद्धि (फीसद में)

उत्पाद	मौजूदा दर	नई दर
एयर कंडीशनर	10	20
घरेलू रेफ्रिजरेटर	10	20
वॉशिंग मशीन	10	20
स्पीकर	10	15
फुटवियर	20	25
रेडियल कार टायर	10	15
गैर औद्योगिक हीरा	5	7.5
हीरे (सेमी प्रोसेस्ड)	5	7.5
लैब निर्मित डायमंड	5	7.5
कट व पॉलिश कलर्ड जेम स्टोन	5	7.5
आभूषण	15	20
प्लास्टिक बाथ, सिंक, बेसिन	10	15
बॉक्स, केस, कंटेनर, बोतल	10	15
प्लास्टिक बर्तन व सामान	10	15
स्टेशनरी व फर्नीचर वस्तुएं	10	15
ट्रंक, सूटकेस, यात्रा बैग	10	15